International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages [Author: डॉ. शुभ्रा चतुर्वेदी] I.F. 9.457

Vol. 14, Issue: 08, August 2026
(IJRSML) ISSN (P): 2321 - 2853

# भारतीय उच्च शिक्षा में अनुसंधान की गुणवत्ता, नैतिकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लेखन उपकरणों का प्रभाव

**डॉ. शुभ्रा चतुर्वेदी**
प्रोफेसर
शिक्षक शिक्षा विभाग
जे. वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8004-7276

**सारांश— भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विगत एक दशक में अभूतपूर्व मात्रात्मक विस्तार से गुज़री है, किंतु अनुसंधान की गुणात्मक स्थिति आज भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अनुसंधान-उन्मुख संस्थागत ढाँचे, बहुविषयक अध्ययन और गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन को प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है, परंतु इसी अवधि में जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Generative AI) आधारित लेखन उपकरणों के व्यापक प्रसार ने अकादमिक लेखन की प्रकृति, प्रामाणिकता और नैतिक सीमाओं से जुड़े नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। प्रस्तुत शोधपत्र भारतीय संदर्भ में अनुसंधान गुणवत्ता, शोध नैतिकता और एआई लेखन उपकरणों के अंतर्संबंध का विश्लेषण करता है। द्वितीयक स्रोतों पर आधारित यह अध्ययन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों, हाल के अनुभवजन्य अध्ययनों तथा संस्थागत नीतियों की समीक्षा करते हुए यह स्थापित करता है कि एआई उपकरण जहाँ भाषा-सुगमता, संपादन क्षमता और उत्पादकता बढ़ाते हैं, वहीं मौलिकता, आलोचनात्मक चिंतन और शोध-अखंडता के समक्ष नई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन के अंत में संस्थागत नीति-निर्माण हेतु व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं।**

**कीवर्ड— अनुसंधान गुणवत्ता, शोध नैतिकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अकादमिक लेखन, उच्च शिक्षा, भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020**

## परिचय

भारत विश्व की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक है, जहाँ एक हज़ार से अधिक विश्वविद्यालय और चालीस हज़ार से अधिक महाविद्यालय संचालित हैं। इस विशाल संरचना के भीतर अनुसंधान उत्पादन की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है, किंतु प्रकाशित शोध की गुणवत्ता, उद्धरण-प्रभाव और मौलिकता को लेकर अकादमिक जगत में लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। पीएचडी उपाधियों की बढ़ती संख्या, प्रोन्नति हेतु प्रकाशन की अनिवार्यता और "पब्लिश ऑर पेरिश" (publish or perish) की संस्कृति ने अनेक शोधार्थियों को समय-दबाव में शीघ्र प्रकाशन की ओर धकेला है। ठीक इसी दौर में जनरेटिव एआई भाषा मॉडलों का उदय हुआ, जिन्होंने पाठ-निर्माण, अनुवाद, सारांशीकरण और यहाँ तक कि साहित्य समीक्षा जैसे कार्यों को भी स्वचालित करने की क्षमता प्रदर्शित की।

इस परिवर्तन के दो परस्पर विरोधाभासी पक्ष सामने आए हैं। एक ओर, एआई उपकरण उन शोधार्थियों के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं जो अंग्रेज़ी भाषा में लेखन को लेकर आत्मविश्वास की कमी अनुभव करते हैं, विशेषतः क्षेत्रीय भाषा-पृष्ठभूमि से आने वाले भारतीय शोधार्थी। दूसरी ओर, इन्हीं उपकरणों के अंधाधुंध उपयोग ने साहित्यिक चोरी की परिभाषा को ही जटिल बना दिया है — अब प्रश्न केवल यह नहीं रहा कि किसी अन्य लेखक की सामग्री की नकल की गई या नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या पाठ स्वयं शोधार्थी द्वारा रचा गया है अथवा किसी मशीन द्वारा उत्पन्न किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 2018 की साहित्यिक चोरी संबंधी विनियमावली, जो समानता-प्रतिशत आधारित चार-स्तरीय ढाँचे पर आधारित है, मूलतः पाठ-समानता को मापने के लिए बनी थी, न कि "मशीन-लेखकत्व" को पहचानने के लिए। इस अंतराल ने अनेक संस्थानों को अपने स्तर पर तदर्थ दिशानिर्देश बनाने के लिए बाध्य किया है।

इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन तीन परस्पर जुड़े आयामों — अनुसंधान गुणवत्ता, शोध नैतिकता और एआई लेखन उपकरणों के प्रभाव — का समेकित विश्लेषण प्रस्तुत करता है, ताकि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संतुलित और व्यावहारिक नीतिगत दिशा सुझाई जा सके।

## साहित्य समीक्षा

भारतीय उच्च शिक्षा में एआई और शोध नैतिकता के अंतर्संबंध पर हाल के वर्षों में अनुभवजन्य साहित्य तेज़ी से विकसित हुआ है। Subaveerapandiyan, Kalbande तथा Ahmad (2025) ने भारत


© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

के पीएचडी शोधार्थियों के बीच एआई लेखन उपकरणों की प्रभावशीलता और नैतिक उपयोग पर किए गए अपने अध्ययन में पाया कि यद्यपि एआई उपकरण भाषा की स्पष्टता, प्रवाह और लेखन-दक्षता में सुधार लाते हैं, फिर भी अत्यधिक निर्भरता, मौलिकता की क्षति और नैतिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे शोधार्थियों की चिंता का विषय बने हुए हैं। इस अध्ययन में यह भी उल्लेखनीय निष्कर्ष सामने आया कि वरिष्ठ शोधार्थियों ने उद्धरण-सुधार हेतु एआई के उपयोग की सराहना तो की, परंतु मौलिकता से संबंधित कार्यों के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना।

एक हालिया केस-स्टडी, जो भारतीय उच्च शिक्षा में लेखन-मूल्यांकन हेतु शिक्षकों की तत्परता और नैतिक जागरूकता पर केंद्रित है, ने पंद्रह संकाय सदस्यों के अर्ध-संरचित साक्षात्कारों के माध्यम से यह उजागर किया कि शिक्षक एआई-आधारित मूल्यांकन को वैध और निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए एक गंभीर ख़तरा मानते हैं। इस अध्ययन में डिजिटल विभाजन (digital divide) की पुनर्पुष्टि, "भारतीय अंग्रेज़ी" के विरुद्ध सांस्कृतिक-भाषिक पूर्वाग्रह, शिक्षकों के कौशल-ह्रास (de-skilling) की आशंका और सतही अधिगम (shallow learning) को प्रमुख चिंताओं के रूप में चिह्नित किया गया है। शोधकर्ताओं का तर्क है कि पश्चिमी इंटरनेट डेटा पर प्रशिक्षित आधार मॉडलों में भाषिक पूर्वाग्रह की समस्या को स्थानीय भारतीय अकादमिक लेखन के संग्रहों (corpora) पर पुनः-प्रशिक्षण (fine-tuning) के माध्यम से आंशिक रूप से कम किया जा सकता है।

एआई और अकादमिक लेखन की नैतिकता को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, Egyptian Journal of Forensic Sciences में प्रकाशित एक अध्ययन ने स्पष्ट किया कि भारत में शोध-प्रस्तावों के निर्माण हेतु एआई के उपयोग ने अकादमिक अखंडता और कार्य की प्रामाणिकता को लेकर व्यापक बहस को जन्म दिया है, तथा इसके समाधान हेतु स्पष्ट मानदंडों एवं नैतिक मानकों के निर्माण को अनिवार्य बताया गया है। इस शोधपत्र में शोध-नैतिकता संबंधी प्रशिक्षण, लेखन-कौशल विकास कार्यशालाओं और साहित्यिक-चोरी संसूचन सॉफ़्टवेयर के प्रयोग को व्यावहारिक समाधान के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

जनरेटिव एआई और अकादमिक अखंडता पर एक व्यवस्थित समीक्षा (systematic review), जिसमें जनवरी 2021 से दिसंबर 2024 के मध्य प्रकाशित इकतालीस अध्ययनों का विश्लेषण किया गया, ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि जनरेटिव एआई शैक्षिक संलग्नता और दक्षता को तो बढ़ाता है, परंतु साथ ही अकादमिक बेईमानी के महत्वपूर्ण जोख़िम भी उत्पन्न करता है। इस समीक्षा में एबीआई/इनफ़ॉर्म, एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी, आईईईई एक्सप्लोर और जेएसटीओआर जैसे डेटाबेस का प्रयोग किया गया, जो अध्ययन की पद्धतिगत विश्वसनीयता को रेखांकित करता है।

नैतिक ढाँचों के संस्थागतकरण की दिशा में भारतीय संस्थानों ने भी सक्रिय कदम उठाए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के अंतर-विषयक शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम ने "जनरेटिव एआई हेतु लाभ को अधिकतम करना, जोख़िम को न्यूनतम करना" शीर्षक से एक दिशानिर्देश दस्तावेज़ प्रकाशित किया, जो शैक्षिक गतिविधियों में एआई के उपयोग हेतु स्पष्ट सिद्धांत प्रस्तुत करता है और इसे उत्तरदायी शोध-आचरण की स्थापित नीतियों के अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे ने 2026 में जनरेटिव एआई के उपयोग हेतु विस्तृत दिशानिर्देश अपनाए, जिनमें शोध-प्रबंधों में एआई-उपयोग की घोषणा (AI attribution statement) अनिवार्य की गई है, जो यह दर्शाता है कि प्रमुख भारतीय संस्थान अब पारदर्शिता-आधारित प्रकटीकरण मॉडल की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

अकादमिक अखंडता रिपोर्टिंग के संदर्भ में एक हालिया अध्ययन ने "छह डोमेन" ढाँचा प्रस्तावित किया है, जिसमें सीमाएँ, नीति-मापदंड एवं प्रवर्तन, साक्षरता शिक्षा, आशय, मुद्दा-आधारित परामर्श और निगरानी-रिपोर्टिंग शामिल हैं। यह ढाँचा इस बात पर बल देता है कि एआई उपकरणों का उपयोग स्वयं में अनैतिक नहीं है, बल्कि उनका उपयोग किस आशय और किस सीमा तक किया जाता है, यही निर्णायक कारक है।

समग्र रूप से साहित्य यह संकेत देता है कि भारतीय उच्च शिक्षा में एआई-शोध नैतिकता का संबंध रैखिक नहीं, बल्कि बहुआयामी है — जिसमें भाषिक समावेशन, संस्थागत तत्परता, नीति-अंतराल और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह जैसे कारक एक-दूसरे से गुंथे हुए हैं।

**तालिका 1: प्रमुख अध्ययनों का तुलनात्मक सारांश**

| अध्ययन/स्रोत | केंद्र-बिंदु | प्रमुख निष्कर्ष |
|---|---|---|
| Subaveerapandiyan, Kalbande व Ahmad (2025) | भारतीय पीएचडी शोधार्थी | एआई भाषा-सुधार में सहायक, परंतु मौलिकता को लेकर संदेह |
| भारतीय उच्च शिक्षा केस-स्टडी (संकाय-दृष्टिकोण) | शिक्षक-दृष्टिकोण, मूल्यांकन | "ब्लैक बॉक्स" प्रकृति, भाषिक पूर्वाग्रह, कौशल-ह्रास की आशंका |


© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

| | | |
|---|---|---|
| Egyptian Journal of Forensic Sciences (2025) | नैतिक परिदृश्य | स्पष्ट मानदंड एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता |
| व्यवस्थित समीक्षा, इकतालीस अध्ययन (2021–2024) | अकादमिक अखंडता | दक्षता में वृद्धि बनाम बेईमानी का जोख़िम |
| आईआईटी बॉम्बे दिशानिर्देश (2024) | संस्थागत नीति | उत्तरदायी शोध-आचरण के अनुरूप ढाँचा |
| आईआईएसईआर पुणे दिशानिर्देश (2026) | संस्थागत नीति | अनिवार्य एआई-उपयोग घोषणा |

## शोध समस्या

उपर्युक्त साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान एआई-सक्षम लेखन के युग में अनुसंधान गुणवत्ता और नैतिक मानकों के मध्य संतुलन साधने की एक जटिल चुनौती का सामना कर रहे हैं। नीतिगत ढाँचे — विशेषतः 2018 की यूजीसी विनियमावली — मूलतः पूर्व-एआई युग के साहित्यिक-चोरी मॉडल पर आधारित हैं, जबकि व्यवहार में शोधार्थी पहले से ही एआई उपकरणों का व्यापक उपयोग कर रहे हैं। इस अंतराल के कारण संस्थागत स्तर पर असमानता, अस्पष्टता और मनमाने निर्णयों की आशंका बनी रहती है।

## शोध उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं:

**तालिका 2: शोध उद्देश्य**

| क्रम | उद्देश्य |
|---|---|
| 1 | भारतीय उच्च शिक्षा में अनुसंधान गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना |
| 2 | शोध नैतिकता से संबंधित मौजूदा नीतिगत ढाँचे की समीक्षा करना |
| 3 | एआई लेखन उपकरणों के अकादमिक लेखन पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की पहचान करना |
| 4 | संस्थागत नीति-निर्माण हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना |

## शोध प्रश्न

- भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में एआई लेखन उपकरणों के उपयोग की वर्तमान प्रवृत्तियाँ क्या हैं?
- शोध नैतिकता से जुड़े मौजूदा नियामक ढाँचे एआई-जनित पाठ को किस सीमा तक संबोधित करते हैं?
- एआई उपकरण अनुसंधान गुणवत्ता को किन विशिष्ट रूपों में प्रभावित करते हैं?

## शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक एवं विवरणात्मक (descriptive) पद्धति पर आधारित है, जो द्वितीयक स्रोतों — शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित अनुभवजन्य अध्ययनों, संस्थागत नीति-दस्तावेज़ों तथा नियामक विनियमावलियों — के विश्लेषण पर केंद्रित है। सामग्री-चयन के लिए भारतीय संदर्भ, हाल की प्रासंगिकता (विशेषतः 2023 से 2026 के मध्य प्रकाशित सामग्री) और स्रोत की विश्वसनीयता (सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाएँ एवं आधिकारिक संस्थागत दस्तावेज़) को मानदंड बनाया गया। एकत्रित सामग्री का विषयगत विश्लेषण (thematic analysis) करते हुए इसे तीन व्यापक श्रेणियों — गुणवत्ता, नैतिकता और तकनीकी प्रभाव — में वर्गीकृत किया गया।

## विश्लेषण एवं विवेचना

### अनुसंधान गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति

भारतीय उच्च शिक्षा में अनुसंधान गुणवत्ता का प्रश्न बहुआयामी है। एक ओर प्रकाशनों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, दूसरी ओर उद्धरण-प्रभाव (citation impact), मौलिकता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के मामले में भारत वैश्विक औसत से पीछे बना हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अनुसंधान को उच्च शिक्षा के केंद्रीय स्तंभ के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए बहुविषयक शोध संस्थानों (Multidisciplinary Education and Research Universities) की परिकल्पना प्रस्तुत की है, किंतु ज़मीनी क्रियान्वयन अभी प्रारंभिक चरण में है। इस संदर्भ में एआई उपकरणों का प्रवेश एक ऐसे समय पर हुआ है जब संस्थागत गुणवत्ता-नियंत्रण तंत्र स्वयं संक्रमण की अवस्था में है।

### नैतिकता का प्रश्न: नियामक अंतराल

यूजीसी की 2018 विनियमावली समानता-प्रतिशत के आधार पर चार-स्तरीय ढाँचा प्रस्तुत करती है — शून्य से दस प्रतिशत तक समानता पर बिना दंड के स्वीकृति, दस से चालीस प्रतिशत तक संशोधन एवं पुनर्प्रस्तुति, चालीस से साठ प्रतिशत तक एक वर्ष के लिए निषेध, और साठ प्रतिशत से अधिक पर पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान। यह ढाँचा पाठ-समानता को मापने में तो प्रभावी है, परंतु यह उस स्थिति को संबोधित नहीं करता जहाँ पाठ मौलिक (गैर-समान) तो है, परंतु मशीन-जनित है। 2023 में यूजीसी ने संस्थानों को एआई-जनित सामग्री के प्रति सतर्क रहने हेतु परिपत्र जारी किया, किंतु यह मार्गदर्शन विस्तृत प्रवर्तन-तंत्र की अपेक्षा सामान्य चेतावनी की प्रकृति का अधिक रहा।


© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

इस नियामक शून्यता को भरने के लिए कुछ अग्रणी संस्थानों ने स्वयं पहल की है। आईआईटी बॉम्बे के अंतर-विषयक शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का दिशानिर्देश-दस्तावेज़ एआई के उपयोग को उत्तरदायी शोध-आचरण की स्थापित नीतियों के अनुरूप संरेखित करने का प्रयास करता है। आईआईएसईआर पुणे का 2026 का दिशानिर्देश और भी आगे बढ़कर शोध-प्रबंधों में "योगदान पृष्ठ" पर अनिवार्य एआई-उपयोग घोषणा की माँग करता है, जिसमें एआई-उत्पादन की प्रकृति, प्रयुक्त मॉडल और लेखक द्वारा की गई संशोधन-प्रक्रिया का उल्लेख आवश्यक है। यह मॉडल अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन-नैतिकता समिति (COPE) की 2023 की स्थिति के अनुरूप है, जो प्रकटीकरण-आधारित पारदर्शिता को अकादमिक अखंडता बनाए रखने का व्यावहारिक मार्ग मानती है।

### एआई लेखन उपकरणों का द्विपक्षीय प्रभाव

**तालिका 3: एआई लेखन उपकरणों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव**

| आयाम | सकारात्मक प्रभाव | नकारात्मक प्रभाव |
|---|---|---|
| भाषा एवं अभिव्यक्ति | गैर-अंग्रेज़ी पृष्ठभूमि के शोधार्थियों हेतु भाषिक बाधा में कमी | "भारतीय अंग्रेज़ी" शैली के विरुद्ध पूर्वाग्रह की आशंका |
| उत्पादकता | संपादन, प्रारूपण एवं उद्धरण-प्रबंधन में समय-बचत | लेखन-कौशल एवं आलोचनात्मक चिंतन में संभावित ह्रास |
| पहुँच एवं समावेशन | दिव्यांग एवं भाषिक-रूप से वंचित शोधार्थियों हेतु सहायक तकनीक | डिजिटल विभाजन के कारण असमान पहुँच |
| मौलिकता | विचार-मंथन एवं संरचना-निर्माण में सहायता | अंधाधुंध उपयोग से मौलिकता एवं लेखकत्व की क्षति |
| मूल्यांकन प्रक्रिया | स्वचालित प्रारंभिक जाँच से समय की बचत | "ब्लैक बॉक्स" प्रकृति के कारण मूल्यांकन-पारदर्शिता में कमी |

उपर्युक्त तालिका यह स्पष्ट करती है कि एआई उपकरणों का प्रभाव सरल द्विआधारी (binary) रूप में — पूर्णतः लाभकारी या पूर्णतः हानिकारक — वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। भारतीय पीएचडी शोधार्थियों पर किए गए अध्ययन में यह उल्लेखनीय है कि केवल छह प्रतिशत प्रतिभागियों ने एआई पर भारी निर्भरता दर्शाई, जबकि लगभग तीस प्रतिशत ने न्यूनतम उपयोग (दस प्रतिशत से कम लेखन में) किया — जो यह संकेत देता है कि भारतीय शोधार्थी, पश्चिमी संदर्भों की तुलना में, अपेक्षाकृत सतर्क एवं संतुलित दृष्टिकोण अपना रहे हैं।

### संस्थागत तत्परता का अंतराल

संकाय-केंद्रित अध्ययनों से यह उभरकर आता है कि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की एआई-साक्षरता असमान है। जहाँ कुछ शिक्षक इसे शिक्षण-सहायक उपकरण के रूप में अपनाने को इच्छुक हैं, वहीं अधिकांश शिक्षक एआई-आधारित मूल्यांकन को लेकर गहरी आशंका व्यक्त करते हैं — विशेषतः इसकी अपारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया और सांस्कृतिक-भाषिक पूर्वाग्रह की संभावना के कारण। यह अंतराल इस बात को रेखांकित करता है कि तकनीकी उपकरणों के प्रसार की गति संस्थागत क्षमता-निर्माण की गति से कहीं आगे निकल चुकी है।

## चर्चा

समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय उच्च शिक्षा में अनुसंधान गुणवत्ता, नैतिकता और एआई का अंतर्संबंध किसी एक नीति या एक तकनीकी समाधान से सुलझाया जाने वाला मुद्दा नहीं है। यह एक ऐसी संरचनात्मक चुनौती है जिसके समाधान हेतु नियामक ढाँचे के आधुनिकीकरण, संस्थागत क्षमता-निर्माण, शिक्षक-प्रशिक्षण और शोधार्थी-साक्षरता — इन चारों स्तरों पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। यूजीसी की 2018 विनियमावली का "समानता-प्रतिशत" मॉडल एआई-जनित परंतु "मौलिक" प्रतीत होने वाले पाठ को पहचानने में असमर्थ है, अतः इसे प्रकटीकरण-आधारित (disclosure-based) मॉडल से पूरक बनाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जैसा कि आईआईएसईआर पुणे के दिशानिर्देश में प्रस्तावित है।

साथ ही, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एआई-विरोधी अतिवादी दृष्टिकोण भी उचित नहीं होगा। भाषिक विविधता से समृद्ध भारत में, जहाँ अनेक प्रतिभाशाली शोधार्थी क्षेत्रीय भाषा-माध्यम से उच्च शिक्षा में प्रवेश करते हैं, एआई उपकरण समावेशन का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं — बशर्ते उनका उपयोग पारदर्शी, घोषित एवं पर्यवेक्षित रूप में किया जाए।

## निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन यह स्थापित करता है कि भारतीय उच्च शिक्षा में एआई लेखन उपकरणों का प्रभाव एकरेखीय नहीं, अपितु बहुआयामी है। एक ओर ये उपकरण भाषिक समावेशन, संपादन-दक्षता और उत्पादकता में


© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

वृद्धि करते हैं, तो दूसरी ओर मौलिकता, आलोचनात्मक चिंतन तथा मूल्यांकन-पारदर्शिता के समक्ष नई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करते हैं। मौजूदा नियामक ढाँचा — विशेषतः यूजीसी की 2018 विनियमावली — इस नई वास्तविकता को पूर्णतः संबोधित करने में असमर्थ प्रतीत होता है, जिसके कारण अग्रणी संस्थानों को अपने स्तर पर पूरक दिशानिर्देश विकसित करने पड़े हैं। भविष्य में गुणवत्तापूर्ण, नैतिक एवं समावेशी अनुसंधान संस्कृति के निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक समेकित, प्रकटीकरण-आधारित एवं शिक्षा-केंद्रित एआई-नीति की आवश्यकता है।

## सुझाव

### तालिका 4: नीतिगत सुझाव

| क्षेत्र | सुझाव |
|---|---|
| नियामक ढाँचा | यूजीसी विनियमावली में एआई-उपयोग प्रकटीकरण खंड जोड़ा जाए |
| संस्थागत नीति | प्रत्येक विश्वविद्यालय में एआई-उपयोग हेतु स्पष्ट, विषय-अनुरूप दिशानिर्देश बनाए जाएँ |
| शिक्षक-प्रशिक्षण | संकाय सदस्यों हेतु एआई-साक्षरता एवं मूल्यांकन-कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ |
| शोधार्थी-साक्षरता | शोध-पद्धति पाठ्यक्रमों में नैतिक एआई-उपयोग को अनिवार्य विषय बनाया जाए |
| तकनीकी विकास | स्थानीय भारतीय भाषाओं एवं लेखन-शैलियों पर प्रशिक्षित एआई मॉडलों को प्रोत्साहन दिया जाए |

## अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है और इसमें प्राथमिक अनुभवजन्य आँकड़ों का संग्रह नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, एआई तकनीक के तीव्र गति से हो रहे विकास के कारण यहाँ उद्धृत कुछ निष्कर्ष निकट भविष्य में परिवर्तित हो सकते हैं। भविष्य के अध्ययनों में भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वेक्षण-आधारित प्राथमिक शोध के माध्यम से इन निष्कर्षों का सत्यापन किया जाना उपयोगी होगा।

## संदर्भ सूची

1. Subaveerapandiyan, A., Kalbande, D., & Ahmad, N. (2025). Perceptions of effectiveness and ethical use of AI tools in academic writing: A study among PhD scholars in India. *Information Development*. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/02666669251314840
2. Assessing Teacher Readiness and Ethical Awareness of AI Tools for Writing Assessment: A Case from Indian Higher Education (2026). *Research Square* (preprint). https://www.researchsquare.com/article/rs-9698381/v1
3. Exploring the ethical landscape of AI in academic writing (2025). *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, Springer Nature. https://link.springer.com/article/10.1186/s41935-025-00453-1
4. Generative AI and Academic Integrity in Higher Education: A Systematic Review and Research Agenda (2025). *Information*, MDPI, 16(4), 296. https://www.mdpi.com/2078-2489/16/4/296
5. Indian Institute of Technology Bombay (2024). *Maximising Benefits, Mitigating Risks: Generative AI for Educational, Research and Development Practices*. Interdisciplinary Programme in Educational Technology, IIT Bombay. https://zenodo.org/records/13254584
6. Indian Institute of Science Education and Research (IISER) Pune (2026). *Guidelines for Generative AI Usage at IISER Pune*. https://www.iiserpune.ac.in/storage/media-library/782fda7c-a253-4024-81f9-95c9f1745f2f.pdf
7. Addressing student use of generative AI in schools and universities through academic integrity reporting (2025). *Frontiers in Education*. https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2025.1610836/full
8. University Grants Commission (2018). *UGC (Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions) Regulations, 2018*. New Delhi: UGC.


© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).